इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 549] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2016—पौष 8, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

आदेश

क्र. बी-4-12-2016-2-पांच (28).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 कीं उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा यह निर्देश देती है कि वरिष्ठ मण्डल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल द्वारा 1 अक्टूबर, 2016 से 31 मार्च, 2018 की कालावधि के दौरान जारी की गई बीमा पॉलिसियों पर उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क निम्न शर्तों पर समेकित किया जा सकेगा तथा उनका भुगतान मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में निम्नलिखित शर्तों पर किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(1) ऐसी प्रत्येक बीमा पॉलिसी पर पृष्ठांकन द्वारा यह उपदर्शित किया जाएगा कि उस पर देय स्टाम्प शुल्क का भुगतान समेकित रीति से कर दिया गया है. ऐसा पृष्ठांकन केवल इस आदेश के अधीन भुगतान की गई समेकित स्टाम्प शुल्क की रकम की सीमा तक किया जा सकेगा.

(2) वित्तीय वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के लिए मध्यप्रदेश के किसी भी सरकारी खजाने में जमा की गई समेकित रकम रुपए 1.00 करोड़ (एक करोड़ रुपए) केवल के भुगतान के चालान की प्रति क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन, भोपाल के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.

(3) उस अवधि के, जिसके लिए शुल्क का समेकन किया गया है समाप्त होने के तुरन्त पश्चात्, वित्तीय वर्ष 2016-17 की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर, तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बीमित राशि की पॉलिसी क्रमांक तथा पॉलिसियों पर भुगतान किए गए स्टाम्प शुल्क की सही रकम से मिलकर बनने वाली विवरणी क्षेत्रीय उप महानिरीक्षक, पंजीयन, भोपाल के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2016

क्र. एफ-बी-4-12-2016-2-पांच (28).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-4-12-2016-2-पांच (28), दिनांक 29 दिसम्बर 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 29th December 2016

ORDER

No. B-4-12-2016-2-V(28).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899), the State Government, hereby, directs that the stamp duty chargeable under the said Act on insurance policies issued by Senior Divisional Manager, Life Insurance Corporation of India, Bhopal during the period from 1st October 2016 to 31st March, 2018 may be consolidated and paid into any Government Treasury of Madhya Pradesh on the following conditions, namely:—

(1) It shall be indicated by an endorsement on each policy of insurance that the stamp duty payable thereon has been paid in the Consolidated manner, Such endorsement would be made only to the extent of consolidated stamp duty amount paid under this order.

(2) A Copy of the Challan of payment of consolidated amount of Rs. 1.00 Crore (Rupees One Crore) only, in any Government Treasury of Madhya Pradesh for the Financial year 2016-17 and 2017-18 shall be submitted in the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Bhopal.

(3) Immediately after the end of the period for which consolidation of duty has been made, the statement consisting of the policy numbers of sum insured and the exact amount of Stamp Duty paid on the policies at the end of the every quarter for the Fianancial year 2016-17 and 2017-18 shall be submitted to the office of Zonal Deputy Inspector General of Registration, Bhopal.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.